

जनसम्पर्क संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन

//सूचना//

जनसम्पर्क संचालनालय की विज्ञापन अनुमोदित सूची में शामिल प्रदेश के दैनिक समाचार-पत्रों का वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इसके तहत (वार्षिक पुनरीक्षण 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) की जानकारी दिनांक 08 मई 2024 से 22 मई 2024 तक शासकीय कार्य दिवस में निर्धारित प्रपत्र में जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की विज्ञापन प्रभाग में जमा कराई जा सकती है।

(आयुक्त, जनसम्पर्क द्वारा आदेशित)



अपर संचालक(विज्ञापन)

जनसम्पर्क संचालनालय
(विज्ञापन-शाखा)

जनसम्पर्क भवन, बाणगंगा रोड़
मध्यप्रदेश, भोपाल पिन-462003

प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

22 मई, 2024

विज्ञापन सूची में शामिल प्रदेश के दैनिक समाचार-पत्रों का वार्षिक पुनरीक्षण प्रपत्र
01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि का विवरण

जनसम्पर्क संचालनालय का कोड नं.	
डी.ए.व्ही.पी. कोड नं.	

1.

समाचार-पत्र का नाम (घोषणा पत्र की प्रति संलग्न करें)	भाषा	नियतकालिका	स्थान	प्रातः कालीन, सांध्य कालीन मध्याह्नकालीन

2. विभिन्न स्थानों से प्रकाशित किये जा रहे
संस्करणों का विवरण (स्थानवार जानकारी दी जाये) :-
3. प्रकाशन स्थान का पत्र-व्यवहार का पूरा पता
पिनकोड सहित :-
4. (अ) प्रकाशन प्रारंभ होने का दिनांक :-
- (ब) विज्ञापन सूची में शामिल होने का दिनांक :-
5. (अ) पंजीयन क्रमांक (आर.एन.आई.) :-
- (ब) डाक पंजीयन क्रमांक एवं वर्ष :-
6. विज्ञापन दर-
(1) डी.ए.व्ही.पी. :-
- (2) राज्य दर :-
- (3) अनुबंध दर :-
7. दैनिक समाचार-पत्र के प्रकाशन संबंधी जानकारी :-

पृष्ठ संख्या	आकार	मुद्रित पृष्ठ का आकार	मुद्रित कॉलम का आकार	मुद्रण का प्रकार ट्रेडिल/ऑफसेट/अन्य	प्रति अंक मुद्रित प्रतियों की संख्या

8. प्रकाशक/मालिक का नाम एवं पूर्ण पता

नाम	
पूरा पता	
दूरभाष/मोबाईल नं.	

9. समाचार-पत्र में कार्यरत संपादकीय/ व्यवस्थापकीय सभी कर्मचारियों की संख्या (पदवार सूची संलग्न की जाए) :-
10. समाचार-पत्र में पत्रकारों एवं कर्मियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने संबंधी विवरण। क्या क्रमांक 09 पर अंकित पत्रकारों/कर्मियों को वेतन दिया जा रहा है। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।
11. मुद्रणालय की जानकारी :-
- मुद्रणालय का नाम (जिला दण्डाधिकारी के समक्ष भरे गये घोषणा-पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें)
 - मुद्रणालय के मालिक का नाम व मुद्रणालय का पता (जहाँ स्थापित है)
 - मुद्रणालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (पदवार सूची संलग्न करें)
 - समाचार-पत्र के अतिरिक्त मुद्रणालय में किये जाने वाले अन्य छपाई कार्य की जानकारी दी जाए
 - मुद्रणालय की क्षमता मुद्रित होने वाले पृष्ठ का अधिकतम आकार तथा उसकी प्रति घण्टे कितनी प्रतियाँ मुद्रित हो सकती हैं।
 - यदि स्वयं का मुद्रणालय नहीं है तो जिस मुद्रणालय में समाचार-पत्र मुद्रण करवाया जा रहा है उस मुद्रणालय के मालिक से किये गये अनुबंध की प्रति संलग्न करें।
12. (अ) वर्ष 2023 में समाचार-पत्र के मुद्रण के लिए खरीदे गये कागज के भुगतान एवं कागज परिवहन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
- (ब) मुद्रण में उपयोग किये गये कागज की गुणवत्ता
- (स) मुद्रण के वास्तविक दिनों की संख्या एवं घोषित छुट्टियों की संख्या साप्ताहिक अवकाश यदि कोई हो तो
13. समाचार-पत्र की प्रसार संख्या
- (अ) मुद्रित संख्या
- (ब) विक्रय संख्या
- (स) निःशुल्क वितरित अंकों की संख्या
- (द) कुल प्रसार संख्या
- (आर.एन.आई./डी.ए.व्ही.पी. द्वारा मान्य प्रसार संख्या/ए.बी.सी./सी.ए.प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
14. प्रसार संख्या के संबंध में समाचार-पत्र की विक्रय एजेन्सी के नाम व पते तथा उन्हें भेजी जाने वाली प्रतियाँ की संख्या निम्न प्रपत्र के साथ संलग्न करें :-

क्रं	एजेन्सी का नाम व पता	बेची गई प्रतियों की संख्या

15. समाचार एजेन्सी का नाम प्रमाण पत्र सहित संलग्न करें :-
(जिस मान्यता प्राप्त समाचार एजेन्सी की सेवा ली जा रही है)
16. स्वात्वाधिकारी द्वारा प्रकाशित अन्य पत्र-पत्रिकाओं की :-
(प्रकाशन स्थल सहित) जानकारी संलग्न करें :-
17. स्थानीय संवाददाताओं का नाम, मोबाईल नं. सहित :-
18. समाचार-पत्र मालिक/परिवार के नाम से पंजीकृत अन्य प्रकाशन यदि कोई हों तो उनके नाम एवं मुद्रण स्थल संलग्न करें।
19. मुद्रणालय का शपथ-पत्र कि उनके प्रेस में प्रतिदिन इस समाचार-पत्र/पत्रिका के अलावा और कौन-कौन से प्रकाशनों का मुद्रण होता है एवं उनकी प्रतियों की संख्या क्या है संलग्न करें।
20. समाचार-पत्र मालिक/परिवार का इस प्रकाशन के अलावा कोई न्यूज़ चैनल अथवा वेब-साइट पंजीकृत हो, तो उसका नाम एवं स्थान की जानकारी संलग्न करें।
21. क्या उस चैनल अथवा वेबसाइट को जनसम्पर्क से विज्ञापन प्राप्त होते हैं। यदि हाँ, तो एक वर्ष में कितनी राशि के और कब-कब विज्ञापन प्राप्त हुए जानकारी संलग्न करें।
22. वर्ष 2023 में आर.एन.आई. को भेजे गये वार्षिक विवरण की प्रति संलग्न प्रस्तुत करें।
23. समाचार-पत्र का मुद्रण 08 पृष्ठों में होना अनिवार्य है।
24. जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।
25. पुनरीक्षण प्रक्रिया की अवधि (2023-24) में समाचार-पत्र के संपादक/प्रकाशक/मुद्रक के विरुद्ध अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराधों (मॉरल टर्पोट्यूट) के प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया है, संबंधी शपथ-पत्र की मूल प्रति संलग्न करना होगा।
26. प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 16 के अन्तर्गत सभी समाचार-पत्रों द्वारा भारतीय प्रेस परिषद को शुल्क देने का प्रावधान है। वार्षिक पुनरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार शुल्क देय होने का प्रमाण-पत्र समाचार-पत्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाना वांछनीय होगा।
27. 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक प्रकाशित सभी अंकों की एक-एक- प्रतियाँ प्रस्तुत करें।
28. समस्त संलग्न दस्तावेज स्व: प्रमाणित कर संलग्न करें।
29. निर्धारित प्रपत्र में अपूर्ण प्रविष्टियां होने पर आवेदन-पत्र निरस्त माना जायेगा।
30. प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 22 मई, 2024 तक निर्धारित है।

निर्धारित तिथि में प्रपत्र सहित जानकारी प्राप्त न होने पर प्रावधान अनुसार समाचार-पत्रों को विज्ञापन अनुमोदित सूची से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी।

मैं.....एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया समस्त विवरण सत्य है। किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य/अस्पष्ट/भ्रामक पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। विभाग मेरे विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा।

दिनांक: / /2024

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

सील.....

दूरभाष/मोबाईल नं.....

ई-मेल.....

पता/शहर.....